

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 1811 सीसी/स्वा.का.पु./2019/

दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के चयनित वेतन श्रृंखला आदेश क्रमांक एफ 20(1)वित्त/ग्रुप-2/92 दिनांक 25.1.92 एव क्रमांक.एफ.20(1)वित्त/ग्रुप-2/92 पार्ट-1 दिनांक 21.12.93 की पालना में निम्नलिखित स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष को उनके प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पूर्व में 18 एव 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतन श्रृंखला उनके पद के पदोन्नति पद के वेतनमान के अनुरूप स्वीकृत की गई थी।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में निम्नलिखित रिट में पारित निर्णय के द्वारा याचिकाकर्ता को 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर 975-1720, 1200-2050 एवं 1640-2900/5500-9000 दिये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं :-

क्र.सं.	याचिकाकर्ता	रिट सं.	निर्णय दिनांक
1.	रामस्वरूप	9701/18	15.11.18

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.11.18 के विरुद्ध आगे अपील दायर नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय के द्वारा इन्हे 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित वेतन श्रृंखला 975-1720, 1200-2050 एव 1640-2900/5500-9000 स्वीकृत करने के निर्देश विभाग को दिये जाने के फलस्वरूप याचिकाकर्ता को विभिन्न आदेशों के द्वारा पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतन श्रृंखलाओं को एतद् द्वारा अतिक्रमण करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में वित्त विभाग की सहमति उपरान्त याचिकाकर्ता की नियमित नियुक्ति तिथि से गणना करके हुए 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः 975-1720, 1200-2050 एव 1640-2900/5500-9000 चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत की जाती हैं याचिकाकर्ता को दिनांक 11.2006 से नियमानुसार देय एसीपी एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

याचिकाकर्ता को चयनित वेतनमान की स्वीकृति में जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के वरिष्ठतम कार्मिक यह सुनिश्चित करले कि याचिकाकर्ताओं को चयनित वेतनमान स्वीकृति में अवधि की गणना नियमित नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान नियमों/प्रावधानों के अनुसार एवं वेतन स्थिरिकरण तथा राशि की गणना भी सही की गई है। यदि कार्मिक उच्च वेतनमान में समायोजित किया गया है तो अवधि की गणना कार्मिक के समायोजित होने की दिनांक से चयनित वेतनमान नियमों के अनुसार की जावे तथा यह भी सुनिश्चित करले कि संबंधित कार्मिक को चयनित वेतनमान का पूर्व में भुगतान नहीं किया गया है।

यह आदेश राज्य सरकार/वित्त विभाग की आई.डी संख्या 101901430 दिनांक 26.03.19 एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग की आई.डी संख्या 575 दिनांक 01.04.19 से प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में जारी किये गये हैं।



( मुकुल शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
गज. जयपुर

